

## न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(श्री घनश्याम जोशी तहसीलदार बयाना )

प्र०स०  
०९/१९

ता० रजु:  
३-६-१९

किस्म मुकदमा  
९१ LRACT

निर्णय दिनांक  
१३-६-१९

सरकार

बनाम श्री

राजेश

पुत्र श्री

राजेश

जाति

चाकड़

निवासी दहगाँवा तह० बयाना

अन्तर्गत धारा ९१ एल आर एक्ट

### निर्णय


पत्रावली पेश हुई । पटवारी हल्का दहगाँवा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम दहगाँवा के खसरा नं. १८७ रकवा ०.७९ में से रकवा ०.०४ किस्म भूमि चरा पर सम्वत २०१६ में श्री राजेश पुत्र राजेश जाति चाकड़ नि० दहगाँवा तहसील बयाना ने मकान बनाई कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा ९१ एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलव किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जावे। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिव्वाग्रयक / चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नं. १८७ रकवा ०.०४ वाके ग्राम दहगाँवा से बेदखल किया जाता है। लगान ..... को ०.१६ ५० गुणा पैनल्टी राशि ८/- से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली कर खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध निर्माण ध्वस्त कर बेदखली बावत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक १३-६-१९ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली का वाद नम्बर  
श. जे. सं. ०४ क पत्र नं. ५  
दिनांक १३/६/१९ का तब २०१९-२०  
नम्बर ८ फसल नीलामी  
को जा चुका है।

  
तहसीलदार  
बयाना

बहुमीन राजेश नेलाका